म.प्र. पुलिस: 'सामान्य वर्ग' की हिस्सेदारी ऐतिहासिक रूप से सबसे निचले स्तर पर पहुँची, साल 2018 के बाद से कोटा रिक्तियों में तेजी से गिरावट आई

- महिलाओं को 33% आरक्षण के बावजूद उच्च न्यायालय में उनकी हिस्सेदारी 9%, पुलिस में 7% पर बनी हुई है
- अधिकारियों में अनुसूचित जातियों के आरक्षण कोटों को पहली बार पूरा किया गया।

10 Nov, 2023, मध्य प्रदेश: 2022 की इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) देश में न्याय क्षमता के आधार पर राज्यों की रैंकिंग निर्धारित करने वाली एकमात्र रिपोर्ट है, जिसे इस साल की शुरुआत में जारी किया गया था। इस रिपोर्ट में मध्य प्रदेश को 8वां स्थान दिया गया है, जिससे यह देश में न्याय वितरण के मामले में शीर्ष 10 राज्यों में शामिल हो गया है।

मध्य प्रदेश की स्थिति में पिछले कुछ वर्षों में सुधार दिखाई दिया है, जिस के चलते मध्य प्रदेश ने 2020 में 16वें स्थान से 2022 में 8वें स्थान पर छलांग लगाई है । वर्ष 2008 से वर्ष 2021 के बीच चार कार्यकालों में अलग-अलग सरकारों ने राज्य की कमान संभाली और इस अवधि में कुछ उल्लेखनीय सुधारों के बावजूद पुलिस एवं न्यायपालिका में रिक्तियों और विविधता से जुड़ी चुनौतियाँ प्रभावी न्याय वितरण के लिए गंभीर चिंता का विषय बनी हुई हैं।

सुश्री माया दारुवाला, मुख्य संपादक, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 ने कहा, "*हम 2030 तक सभी के लिए न्यायिक संस्थानों को मजबूत बनाने के साथ-साथ न्याय की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने की अपनी वैश्विक प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं। ऐसे समय में, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट मौजूदा न्याय व्यवस्था, खास तौर पर पुलिस और न्यायपालिका की कमियों को सुधारने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करती है। लंबे समय से बरकरार रही चुनौतियों के विषय पर एक व्यावहारिक विचार-विमर्श की शुरुआत करते हुए, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की ये जानकारी, हमारी न्याय वितरण प्रणाली में तात्कालिक और मौलिक सुधारों की आवश्यकता को दोहराती हैं, जो आखिरकार एक न्यायसंगत और समान समाज की ओर मार्ग प्रशस्त करेंगी।*"

साल 2008 के बाद से पुलिस रिक्तियों में तीन गुना बढ़ोतरी; 'सामान्य' श्रेणी की हिस्सेदारी ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर है, जबकि आरक्षित श्रेणियों में भारी गिरावट दर्ज की गई है

वर्ष 2008 से वर्ष 2021 के दौरान पुलिस बलों में स्वीकृत पदों की संख्या 77,253 से बढ़कर 1.19 लाख हो गई है, और इसकी तुलना में रिक्तियों में भी बढ़ोतरी हुई है जो साल 2008 में 7,031 से तीन गुना बढ़कर साल 2021 में 21,677 हो गई हैं। वर्ष 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार, पुलिस बलों में नियुक्त कर्मियों की वास्तविक संख्या (98,453) स्वीकृत पदों की संख्या से 18% कम है। अधिकारियों के बीच रिक्ति 23% है। कांस्टेबलों के रिक्त पदों की कुल संख्या 15,867 है, और ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं।

इन रिक्तियों के अंतर्गत, वर्ष 2008 में 'सामान्य' श्रेणी के लिए रिक्तियां '0' थी जो वर्ष 2021 में बढ़कर 17% (10,000 से अधिक) हो गई है । वर्ष 2008 में 'सामान्य' श्रेणी की कुल हिस्सेदारी 56% थी जो वर्ष 2021 में घटकर 51% हो गई है। 33% आरक्षण के बावजूद, महिलाओं की हिस्सेदारी 2008 में 3% (2,285) से धीरे-धीरे बढ़कर 2021 में 7% (6,697) हो गई है। 33% के आरक्षण लक्ष्य को पूरा करने के लिए, मध्य प्रदेश पुलिस बल में 32,774 महिलाओं को नियुक्त करने की आवश्यकता है।"

सभी आरक्षित श्रेणियों में खुली रिक्तियों में कमी आई है जो पुलिस में जातिगत विविधता में कुछ सुधार को दर्शाता है।

वर्ष 2008 से वर्ष 2021 के बीच, पुलिस बल में अनुसूचित जनजाति (एसटी) तथा अन्य पिछड़े वर्ग (ओ.बी.सी) की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। हालाँकि अनुसूचित जाति (एससी) के प्रतिनिधित्व में मामूली रूप से कमी आई है, लेकिन वर्ष 2008 के बाद पहली बार अधिकारियों के लिए एससी कोटा पूरा हुआ है। वर्ष 2018 से वर्ष 2021 के दौरान, अनुसूचित जाति के लिए रिक्तियां 42% से घटकर 16%; अनुसूचित जनजाति के लिए 43% से घटकर 21%; और ओबीसी के लिए 48% से घटकर 18% हो गई हैं, जो वर्ष 2008 में 20% से दोगुने के स्तर तक पहुंच चुकी थी। वर्ष 2021 में विभिन्न पदों पर कुल 21,000 रिक्तियों में से लगभग 50% (11,000) एससी/एसटी/ओ.बी.सी के अंतर्गत थे, जिनमें से एसटी के लिए रिक्तियों की संख्या सर्वाधिक (5,017) थी, जिसके बाद एससी (3,117) और ओ.बी.सी (2,950)।

उच्च न्यायालय में रिक्तियाँ बढ़ती जा रही हैं, जहाँ केवल 9% न्यायाधीश महिलाएँ हैं।

जुलाई 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार, म.प्र. की अधीनस्थ अदालतों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या 2,021 और उच्च न्यायालय में 53 है। कुल 1539 न्यायाधीशों में से, 50% से अधिक (821) 'सामान्य' श्रेणी से हैं, जिसके बाद 16% ओ.बी.सी न्यायाधीश तथा 15% एससी एवं एसटी न्यायाधीश हैं। अधीनस्थ न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों की संख्या में मामूली सुधार आया है, जो वर्ष 2018 में 27% से बढ़कर 2022 में 35% (536) हो गई है। इस अवधि में, उच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीशों की संख्या 9% बनी रही, और इस प्रकार राज्य के उच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीशों की संख्या सिर्फ 3 है।

कुल मिलाकर देखा जाए, तो इन न्यायालयों में रिक्तियाँ अधीनस्थ न्यायालयों में 24% और उच्च न्यायालय में 41% हैं, जो वर्ष 2018 में क्रमशः 26% और 35% थी। अधीनस्थ न्यायाधीशों के कुल 482 रिक्त पदों में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियों के पद रिक्त हैं, और यह आंकड़ा 44% (177) है। एससी में 27% (86) पद रिक्त हैं, जबकि ओबीसी में 10% (29) पद रिक्त हैं। 'सामान्य' श्रेणी में 18% (181) पद रिक्त हैं।

नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, पुलिस (17%), जेल (17%) और न्यायपालिका (18%) में कुल रिक्त पदों की संख्या 23,698 है। 2011 की जनगणना के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की आबादी 15.6% है जबकि अनुसूचित जनजाति की आबादी 21% है। हाल ही में प्रकाशित मानव संख्या और कार्यक्रम के मंत्रालय के आवधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण (जून 2022 - जुलाई 2023) के अनुसार, मध्य प्रदेश की बेरोजगारी दर 4.8% पर है, जिसमें राज्य की जनसंख्या का केवल 54.5% व्यावसायिक रूप से रोजगार पाती है।